

प्रश्न सं. [क. 1327]
कार्यालय नगर पालिका परिषद् नागदा, जिला-उज्जैन (म.प्र.)

म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 नियम 27 के तहत भवन के विकास, निर्माण पुर्ननिर्माण, परिवर्तन की अनुज्ञा की स्वीकृति।

प्रकरण क्रमांक : एफ-/नि.यो./भू.अ./187/2583 नागदा दिनांक 24/09/2016

प्रति श्रीमान/श्रीमती विश्वेश्वर सिंह आत्मज/पत्नी रघुवीर सिंह

निवासी मोहल्ला बामसहाय वार्ड क्र. 13 नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.)

विषय : भवन अनुज्ञा स्वीकृति/नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण/निर्माण परिवर्तन परिवर्धन कार्य।

महोदय,

नगर पालिका नागदा के अन्तर्गत मोहल्ला बामसहाय के वार्ड क्र. 13 एवं भूखण्ड क्र. 15X276/16 पर/में भूमि विकास/भवन निर्माण अनुज्ञा के लिए आपके द्वारा दिनांक 22/6/16 को प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में आपको सूचित करता हूँ कि नगर पालिका द्वारा निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अध्याधीन रहते हुए भवन अनुज्ञा की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

- (1) निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व के भूखण्ड/भवन सीमा में ही करें, उससे लगी सड़क, नाली शासकीय अथवा नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जावेगा। छद्म/गैलेरी शासकीय सड़क भूमि पर नहीं होना चाहिए।
- (2) निर्मित क्षेत्रफल भूखण्ड के क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा भूकम्परोधी तकनीक का प्रयोग करना आवश्यक होगा।
- (3) मानचित्र में लाल रंग से काटे गये भाग एवं उसके बाहर निर्माण नहीं किया जावेगा। संलग्न मानचित्र में लाल रंग से चिह्नित भू भाग में कृषि/वाणिज्य/आवासीय भूतल का भाग की ऊँचाई 12 फीट तक के भवन के निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है।
- (4) साईड प्लान अनुसार भू खण्ड सीमा के भीतर निम्नानुसार खुला गेट वेक छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
फ-भवन के सामनेमीटर
ग-भवन के दाहिने तरफमीटर
ख-भवन के पीछेमीटर
घ-भवन के बाँये तरफमीटर
- (5) भवन की कुर्ती (फ्लिथ) लेवल सड़क के सामान्य लेवल से निम्नतम 45 से.मी. ऊँचा रखा जावेगा।
- (6) आवासीय भूमि में फ्लश शौचालय सेप्टिक टैंक की ही व्यवस्था की जावेगी तथा गंदे पानी के निकास हेतु नगर पालिका की मुख्य नाली तक पक्की नाली का निर्माण आपके द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।
- (7) नगर पालिका की लिखित स्वीकृति के बिना आम सड़क पर निर्माण सामग्री भण्डारण नहीं की जावेगी।
- (8) निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर अथवा किसी भी समय निर्देशित किये जाने पर सड़क/नाली पर भण्डारण सामग्री तत्काल हटाना होगी।
- (9) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण होने की सूचना तत्समय तत्काल बाद इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी तथा तदासीय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (10) भूखण्ड में उचित मात्रा एवं उचित स्थान पर वृक्ष लगाये तथा बरसात के पानी को भूमिगत संरक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
- (11) यह अनुज्ञा इसके जारी दिनांक से मात्र 1/2 (अर्ध) वर्ष के लिये मान्य होगी। इसके बाद पुनः अनुज्ञा का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।
- (12) साईड प्लान अनुसार सीमा में लगे भवन/भू-स्वामी के सुखाधिकारों में प्रस्तावित निर्माण कार्य से कोई बाधा नहीं निर्मित की जावेगी।
- (13) म.प्र. विद्युत नियम 1956 के नियम 80 के अन्तर्गत भूखण्ड/भवन से विद्युत लाईन के मध्य 1.2 मीटर की दूरी होना आवश्यक है।

उपरोक्त में से किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा स्वयं ही समाप्त हो जावेगी तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञा शर्तों एवं म.प्र. भूमि विकास नियमों के विपरीत किया गया निर्माण/विकास कार्य स्वयं पर हटाने के लिए बाध्य रहेंगे।

यह अनुज्ञा रु. 18000/- अनुज्ञा शुल्क रसीद क्र. 62X85 दिनांक 24/9/16 द्वारा जमा

जाने पर जारी की गई। मानचित्र एक प्रति संलग्न है।

संलग्न : मानचित्र एक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
पुर्ननिर्माण परिषद्, नागदा,

नागदा, दिनांक / / 20

प्रकरण क्रमांक : एफ-/नि.यो./भू.अ./187/

प्रतिलिपि :-

- 1) आयुक्त आवास एवं पर्यावरण म.प्र. नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल।
- 2) सहायक संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश उज्जैन।
- 3) राजस्व अधिकारी नगर पालिका परिषद् नागदा की ओर भवन वंजी में भूमि के स्थान पर भवन निर्माण कार्य प्रविष्टी करने बाध्य।

उज्जैन अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, नागदा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, नागदा

नां 501327 परिषद

खातेदार/सह-खातेदार का नाम विरेन्द्र सिंह

[सह-खातेदार की स्थिति में प्रथम सह-खातेदार का नाम एवं [संख्या] भों.]

कृषक का नाम विरेन्द्र सिंह
(जिसने पुस्तिका जारी की जा रही है)

पिता/पति का नाम रघुवीर सिंह

ग्राम पारधामाका पटवारी हल्का नं. 23

राजस्व निरीक्षक मंडल 9 नागापुर विकास खण्ड पारधामाका

तहसील नागापुर जिला उज्जैन



यह फोटो विरेन्द्र सिंह का है।

[Handwritten signature]

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
तहसील नगापुर पटवारी उज्जैन

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी का समुदा



विरेन्द्र सिंह

जारीकर्ता अधिकारी
तहसील नगापुर पटवारी उज्जैन

परिच = "ब" -

भाग 1 (ख) - भू अभिलेख

खाना नम्बर/वर्ष ... १९६६
 भूमि पर हक का प्रकार (भूमिस्वामी/शासकीय पट्टेदार)

क्रमिक	खाना नंबर	रकबा	लगान	अध्यास	रकबा		सिंचित रकबा	सिंचाई का स्रोत (कुआं, नहर, तालाब, नदी)	अन्य विधरण
					कायम में	पड़ा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
१	६४२/४/२	० ९० ३	९२५	४--	० ९० ३	-	० ९० ३		३ ३ ३/५
२	६००/३/१	० ९६				० २५ १			४ ४ ३/५
३	१२९९/१/३	० ४३ ६			० ४३ ६		० ४३ ६		४ ४ ३/५
योग	३	२-४१०	९२५	४--	१-४३०	०-२५१	१-४३६		
रकबा की फेरत		४/१२/१३	९४३	३/११					
 27-03-17 डि. सु. म. र. म. र. कारखाने ह. नं. 23 ताहसील - गांधी									

टीका - भूमि परिवर्तन का खाना नम्बर, रकबा एवं भू-जलदा स्थान सम्राटी में उचित किया जाने

अधिकारी
 न. म. र. म. र.
 गांधी तालाब एवं आवास विभाग